राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 13/2017
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2017/00034
दायर दिनांक– 29.05.2017
निर्णय दिनांक– 04.01.2024

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्योकरण जाति रेगर नि0 ग्राम पालड़ी भोपतोतान तह0 रूपनगढ़

....प्रार्थी

बनाम

1. नाथू पुत्र मुकना उर्फ छोटू जाति रेगर नि0 ग्राम पालड़ी भोपतोतान तह0 रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
3. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़

.....अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. डॉ रामदेव गुर्जर प्रार्थी अधि0
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग व प्रार्थी के पुर्वाधिकारी की गैर खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पालड़ी भोपतोतान पटवार हल्का भदूण तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 245/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय अवस्थित है। प्रार्थी के पिता श्योकरण प्रार्थी के बाल्यकाल में ही फौत हो गये थे। प्रार्थी का पालन पोषण शिक्षा व देखभाल प्रार्थी के दादा नाथू पुत्र छोटू उर्फ मुकना द्वारा की गयी। प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम प्रश्नगत भूमि आवंटनशुदा है, जिस पर प्रार्थी के पुर्वाधिकारी का कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के फौत होने के पश्चात प्रार्थी का सतत् रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त आराजी में संवत् 2069 से 2072 की खसरा गिरदावरी में 5 बीघा में ग्वार व 5 बीघा में चवला काश्त का इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 1 सन् 1998 में फौत हो गये थे। तत्पश्चात से प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी पुश्तैनी है। इस कारण से प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु अलग से वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष खातेदारी एवं विरासत का नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया परन्तु विधिक कार्यवाहीं नही होने से प्रार्थना पत्र व वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी उक्त भूमि पर सतत् रूप से काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थी को दिनांक 12.05.2017 को जमाबंदी व खसरा गिरदावरी निकालने पर जानकारी हुई कि प्रार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में नहीं है।

04/01/24

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 1 अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज होने से उक्त आराजी के बैचान, हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा एवं प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भूमि के दस्तावेज पंजीयन संबंधी कार्य नहीं करने, उन्हें राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु होने से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र से नाम हटाने हेतु सहमति प्रदान की। अतः प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम हटाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 2 (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने जवाब में कथन किया कि ग्राम पालड़ी भोपतोतान की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 205 पर ख0न0 245/4 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि अप्रार्थी संख्या 1 नाथू वल्द मुकना कौम रेगर सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र के बिन्दु परस्पर विराधाभाषी है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 5 में अप्रार्थी संख्या 1 को फौत होना बताया है एवं बिन्दु संख्या 9 में अप्रार्थी संख्या 1 का अधिकार अभिलेख में बतौर खातेदार इन्द्राज होने से वादग्रस्त भूमि को बैचान, खुद–बुर्द करने पर आमादा होना बताया है। अतः प्रार्थना–पत्र के बिन्दु विरोधाभाषी होने से प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे, काश्त की उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मदाखलत नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करवाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के कथन को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी रिकार्ड खातेदार नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु विरोधाभाषी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)